न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—59/2019/225 (2019/00059)

1. प्रेमसिंह उर्फ लाला पुत्र बन्ना, जाति रावत, निवासी लाडपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर दिनांक 15.6.2016अंतर्गत प्रकरण संख्या 10/2016.

उपस्थितः—

1. श्री विरेन्द्रसिंह पंवार,, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 ।

निर्णय

दिनांकः—15.7.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर के आदेश दिनांक 15.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/प्रार्थी ने अधी0न्याया0 में वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट की कदीमी कब्जे काश्त की आराजियात ग्राम लाडपुरा, तहसील व जिला अजमेर में वर्किंग खसरा नंबर 1023 रकबा 5 बिस्वा जिसके आधार खसरा नंबर 1269 रकबा 0.04 है0 बने है, अवस्थित है । उक्त आराजी पर अपीलांट का पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है जिससे अपीलांट को वादग्रस्त आराजी का खातेदार उद्घोषित किया जाना न्यायोचित है लेकिन अधिकार अभिलेख में आराजी सिवायचक दर्ज होने के कारण अपीलांट के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है एवं राजस्व एजेन्सी अपीलांट को बेदखल कर अन्य को आवंटन करने पर आमादा है जिसमें यदि वह सफल हो गई तो अपीलांट अपने कदीमी कब्जे काश्त की आराजी से महरूम हो जावेगा । अतः प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर अप्रार्थी को वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 15.6.2016 द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांट के पक्ष में पुराने कब्जे के आधार पर तहसीलदार द्वारा 1993 में नियमन की अनुशंसा की गई थी

एवं दिनांक 29.3.1995 को भी तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय में ही पुराने कब्जे के आधार पर नियमन की अनुशंसा की गई थी । इसके बाद दिनांक 30.9.2002 को भी अपीलांट के पुराने कब्जे काश्त के आधार पर उसके पक्ष में नियमन की अनुशंसा की गई । इस प्रकार अपीलांट का विवादित भूमि पर पुराना कब्जा काश्त होना सिद्ध है तथा धारा 212 राज0काश्त0अधि0 में कब्जे की स्थिति को ही मुख्य रूप से देखा जाना होता है किन्तु अधी0न्याया0 ने अपीलांट के कब्जे के तथ्य को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि प्रकरण दिनांक 19.5.2016 को नियत था लेकिन दिनांक 19.5.2016 को पत्रावली न्यायालय में आने बाबत् कोई अंकन ही है ओर न ही दिनांक 15.6.2016 को आगामी पेशी दिये जाने बाबत् कोई आदेशिका ही अंकित है । अपीलांट को यह कहा गया कि आगामी पेशी की सूचना नोटिस द्वारा दे दी जावेगी लेकिन न तो अपीलांट को नोटिस दिया गया ओर न ही लोक अदालत में रखने की सूचना दी गई । इस प्रकार अधी0न्याया0 ने विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना सिविल प्रक्रिया संहिता के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने केवल नगर सुधार न्यास के नाम भूमि होने व नगर सुधार न्यास को पक्षकार नहीं बनाने का कथन अंकित कर प्रकरण को निर्णित किया है जबकि विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा नगर सुधार न्यास के प्रभाव में आने से पहले का है । विवादित आराजी पर अपीलांट का पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चले आने से अपीलांट राज0काश्त0अधि0 के प्रभाव में आने के पूर्व से ही काबिज काश्त होने से बॉय ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार हो गये है किन्तु अधी0न्याया0 ने काबिज व्यक्ति को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण को लोक अदालत में रखकर सरसरी तौर पर खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अप्रार्थी/रेस्पो0 को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थी को बिना नोटिस व सूचना दिये एकपक्षीय रूप से आदेश पारित किया है जिससे अपीलधीन आदेश की जानकारी प्रार्थी को नहीं हो सकी थी । दिनांक 15.2.2019 को प्रकरण के संबंध में जानकारी करने प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि प्रकरण का निर्णय लोक अदालत में हो चुका है तब अपने अधिवक्ता से संपर्क कर आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है । विवादित भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर पुराने कब्जे काश्त के आधार पर अपीलांट को किसी प्रकार के हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र विधिसम्मत् रूप से खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । मियाद के बन्दु से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये

हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का मुख्य रूप से यह कथन है कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण को लोक अदालत में रखने के संबंध में अपीलांट को किसी प्रकार का नोटिस एवं सूचना नहीं दी तथा एकपक्षीय रूप से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने आदेशिका दिनांक 30.3.2016 को पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 19.5.2016 नियत की थी किन्तु दिनांक 19.5.2016 को पत्रावली न्यायालय में पेश होने संबंधी कोई आदेशिका अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने पत्रावली दिनांक 15.6.2016 को लोक अदालत में रखकर सरसरी तौर पर अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम भूमि होने तथा प्राधिकरण को पक्षकार नहीं बनाये जाने के आधार पर एकतरफा में खारिज किया है । अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण को लोक अदालत भूडोल में दिनांक 15.6.2016 को रखे जाने के संबंध में अपीलांट को नोटिस दिये जाने के संबंध में पत्रावली पर कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य उपलबध नहीं है जो निश्चित रूप से विधिक प्रक्रिया का उल्लघंन होकर सिविल प्रक्रिया संहिता के विपरीत होने से अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 के आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र को मात्र चार–पांच लाईनों में निर्णित किया है जबकि धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने हेतु आवश्यक घटक यथा प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं को विवेचन, विश्लेषण करना आवश्यक है । उक्त बिन्दुओं के विवेचन व विश्लेषण के अभाव में भी अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.6.2016 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 15.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर